

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0नि)/ /2020, दिनांक::नवम्बर 05, 2020,

--:संशोधन आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-1595/2020 दिनांक 20.10.2020 द्वारा माह नवम्बर-2020 में वाणिज्य कर अधिकरण की विभिन्न पीठों के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु गठित खण्डपीठों के साथ पीठ-प्रथम एवं पीठ-द्वितीय इलाहाबाद के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु भी दिनांक 09.11.2020 से 11.11.2020 तक खंड पीठ गठित की गयी है, जिसके लिए माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र० एवं डा० बुद्धेशमणि, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-फैजाबाद को नामित किया गया था।

इस संबंध में मुझे निर्देशानुसार यह अवगत कराना है कि वर्तमान में माननीय अध्यक्ष महोदय के अस्वस्थ होने के कारण माह नवम्बर-2020 में दिनांक 09.11.2020 से 11.11.2020 तक गठित उक्त खण्ड पीठ निरस्त की जाती है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

निबंधक

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या- वा0क0अधि0/यु0पी0नि)/1676/2020, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, इलाहाबाद
- 2-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-द्वितीय, इलाहाबाद
- 3-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-फैजाबाद।
- 4-कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र० लखनऊ।
- 5-जिलाधिकारी, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि यदि माननीय अध्यक्ष महोदय के उक्त तिथियों में प्रवास हेतु सूट आवंटित कराया गया हो तो उसे निरस्त कराने की कृपा करें।
- 6-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर)मुख्यालय
- 7-संबन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

निबंधक

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।